

5-15 PM

RIP KVM VC D 5-08/06/26

माननीय न्याय दंडाधिकारी, (प्रथम वर्ग) रेल्वे न्यायालय, कल्याण

"शिकायत पत्र (BNSS- 2023 धारा 223(1) के तहत)

SCC. No. 8882/26 Date

- 1) आर.पी.एफ. पोस्ट : कल्याण मण्डल, मुंबई CR. No. 2043/26 धारा 155 रेल से
- 2) घटना की तारीख : 8/6/26 समय 9.40 घटना स्थल लोकल ट्रेक
- 3) आरोपी का नाम : अभिषेक मिश्रा उम्र 27 वर्ष धन्दा जोकर
- स्थानीय पता : वर्किंग (थोडे)
- स्थायी पता : मो. नं. 948481/16/0
- 4) आरोपी की चेहरा पट्टी : उँचाई 5'5" रंग मेरा शरीर पहचान चिन्ह
- 5) फिर्मादी का नाम व पता : मरुत खर्कटा तारक
- 6) आरोपी को गिरफ्तार करने का तारीख : समय स्थान
- 7) आरोपी को गिरफ्तार करने अधिकारी का नाम और पता :
- 8) जप्त संपत्ति का विवरण व किमत :
- 9) रेल्वे को हानी / नुकसान :

10) गिरफ्तारी के कारण (BNSS की धारा 35(1) (b) (II) के तहत

अदरचा ठगना समी कस

खुल करण्यत येत भाडे

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग
लोहमार्ग न्यायालय,

- 1) रेल्वे परिसर में कोई और अपराध को करने से रोकने, रेल यातायात सुनिश्चित करने हेतु
- 2) अपराध की समुचित जांच करने हेतु।
- 3) अपराध से संबंधित साक्ष्य को प्रभावित करने से निर्धारित करने हेतु।
- 4) मामले से संबंधित तथ्यों से परिचित के उन्हें उजागर करने आरोपी द्वारा रोकने से निवारित करने
- 5) उक्त आरोपी की कोर्ट में उपस्थिती सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक है।

11) आरोपी का गिरफ्तारी मेमो (दं.प्र.सं. की धारा 41(1) (b) (II) के तहत बनाने का

तारीख : समय स्थान

B) गवाहों का विवरण : गवाहों नं. 1

गवाहों नं. 2

C) गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार मित्र जिसे गिरफ्तार की सूचना दी गई (नाम)

12) आरोपी को जांच अधिकारी द्वारा जमानत पर रिया किया गया है या नहीं :

13) जांच अधिकारी का नाम व पद : 181 का.प्र.स. भा.प्र.

14) अपराध का संक्षिप्त विवरण : अभिषेक मिश्रा ने लोकल ट्रेक पर चढ़ाई के लिए बाधा डाली

लोकल ट्रेक के माली जाफे हुए पाया गया प्रहारा

आदेश प. कपल मुठाए कपल खि

आरोपी अभिषेक मिश्रा रेल्वे सुरक्षा बल का यात्री भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कलम 34 (3) प्रमाण दिलेला नोटीसनुसार दि 8/06/26 रोजी 12/06/26 वाजता आरोपी को समक्ष प्रत्यक्ष/खीडीओ कॉन्फरेंसिंगद्वारे हजर झाला

प्रार्थना : उपरोक्त मामले की जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने रेल अधिनियम की धारा 155 में वर्णित अपराध किया है। अतः मान. रेलवे न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरुद्ध शिकायत आग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नोट: आरोपी की गिरफ्तारी व तलाशी द.प्र.स. के प्रावधान के अधीन की गई है और गिरफ्तार बनाकर आरोपी के रिश्तेदार/मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दी गई है एवं गिरफ्तार व्यक्ति को में उपबंधित सभी सुविधाएँ मुहय्या की गई।

मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य & डी. के. बसु बनाम प. बंगाल राज्य के न्याय निर्णय में दिये गये सभी दिशा निर्देशों और मानवाधिकार का अनुपालन से सभी दिशा निर्देशों का पालन है।

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग
लोहमार्ग न्यायालय, कल्याण

आरोपी का हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी : 181

...conditions of the sentence and charges
as per rule read over and explained to
the accused.

Q 1 :- Have you understood the Same :

Yes

Q 2 :- Do you plead guilty to the same

voluntarily ?

A. IS. Yes

Accused Sign

Judicial Magistrate, F.C.
Rly. Court, Kalyan

ORDER

J/s 275 of the BNSS, 2023, I accept
the plea of guilt and convict the accused
for Offence Punishable U/s 155 RA

He is sentenced to pay fine of

Rs. 200/- I/D. to suffer S.I
for 30 days

Judicial Magistrate F.C.
Rly. Court, Kalyan

Fine Paid 200/-

08/6/26
Sr. Clerk (C & F)
Railway Court, Kalyan.